मुंडका अग्निकांड के खिलाफ दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन : हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग

दिल्ली (इंकलाबी मज़दूर केन्द्र) 17 मई मुंडका में फैक्टरी अग्निकांड में 27 से अधिक मजदूरों की मौत के खिलाफ शहर में मजदूरों मेहनतकशों के बीच काम करनेवाले मजदूर संगठनों, जनपक्षधर संगठनों और सामाजिक कार्यकर्तों ने संयुक्त रुप से विरोध प्रदर्शन किया एवं मजदूर हितों से संबंधित मांगों वाला ज्ञापन दिल्ली सरकार के श्रममंत्री मनीष सिसोदिया को सौंपा। 13 मई को दिल्ली के मुंडका में सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भयंकर आग में जलकर 27 से अधिक मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई तथा अनेकों मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं । बहुत से मजदूर लापता हैं, उनका पता नहीं चल रहा है । खबरों के अनुसार कारखानों को, अग्नि सुरक्षा मानकों सहित सभी फैक्ट्री कानूनों एवं श्रम कानूनों की पूर्णतया अवहेलना कर मालिकों द्वारा चलाया जा रहा था। फैक्ट्री में लगभग 250 मजदूर काम करते थे, जिनमें ज्यादातर महिला मजदूर थीं।

प्रदर्शन में आए प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कम्पनी में मजदूरों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता था। उन्हें ईएसआई व पीएफ आदि की सुविधा भी नहीं मिलती थी । उक्त कंपनी में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जाता था । मजदूरों को 12-12 घंटा काम के बदले बतौर मासिक वेतन 6000 से 9500 के बीच मिलता था ।

नेताओं ने दिल्ली सरकार को अतीत की याद दिलाते हुए कहा कि मुंडका अग्निकांड से पहले पीरागढ़ी उद्योग नगर, नागलोई, मंगोलपुरी, फिल्मिस्तान, बवाना, नरेला इत्यादि इंडस्ट्रियल एरिया में भी भयंकर अग्निकांड में अनेकों मजदूरों ने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाई है । किन्तु दिल्ली सरकार की अनदेखी के कारण फैक्टरी मालिकों एवं सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ सबक सिखाने वाली कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। निरन्तर हो रहे अग्निकांडों को रोकने के लिए किसी भी तरह का कोई भी गम्भीर प्रयास अब तक नहीं किया गया है । यह सब मजदूरों के प्रति असंवेदनशील होकर उनकी बेशकीमती जान से खेलने जैसा आपराधिक एवं घृणित कृत्य है ।

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आग जैसी दुर्घटनाओं को रोकने वाले सुरक्षा मानकों की अवहेलना तथा मजदूरों का निर्मम शोषण के लिए फैक्ट्री मालिकों के अलावा फैक्ट्री व श्रम कानूनों से संबंधित सभी अधिकारी भी मुंडका जैसे अग्निकांड के लिए जिम्मेदार हैं । उन्होंने मांग रखी कि दोषी मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो तथा सभी मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को उचित मुआवजा के साथ सभी श्रमिकों के बकाया वेतन का तत्काल भुगतान कराया जाए।

ज्ञापन में निम्न मागें रखी गई

1. मुंडका फैक्टरी अग्निकांड एवं इस फैक्टरी में सभी कानूनों के उल्लंघन के दोषी फैक्ट्री मालिकों के साथ सभी संबंधित अधिकारियों पर धारा 307/304 आईपीसी के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए ।

2. उक्त भीषण अग्निकांड में ड्यूटी के समय मजदूरों की मौत हुई है । मजदूर देश के सिपाही से किसी भी तरह कम नहीं है । दिल्ली सरकार मृतक मजदूरों के आश्रितों को कम से कम 50 लाख रुपये एवं घायलों को मुफ्त इलाज के साथ 5 लाख रुपये का मुआवजा तत्काल भुगतान करे ।

3. बहुत से मजदूर लापता हैं। सरकार स्पष्ट बताए कि उनका इलाज चल रहा है या मौत हो चुकी है । सरकार बताए,लापता मजदूर कहाँ है ?

4. उक्त फैक्टरी मालिकों ने कम्पनी में कार्यरत लगभग 250 मजदूरों का अप्रैल माह का वेतन नहीं दिया है । दिल्ली सरकार अस्थाई ऑफिस बनाकर सभी मजदूरों का रिकार्ड बनाए एवं उनका सभी बकाया वेतन व अन्य राशि का भुगतान करे ।

5.उक्त भीषण अग्निकांड की निष्पक्ष जांच के लिए श्रमिक प्रतिनिधियों को मिलाकर एक जाँच कमेटी बनाई जाये।

6. दिल्ली की सभी कंपनियों में भयानक आग्निकांड रोकने वाले सभी सुरक्षा मानकों सहित फैक्ट्री एवं श्रम कानूनों का पालन कराने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए।

7. न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाया जाये और दिल्ली के सभी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को सरकार द्वारा कम से कम तय न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी की जाये। विरोध प्रदर्शन संगठित करने की पहल इफ्टू(न्यू),मजदूर एकता कमेटी, इफ्टू, इंकलाबी मजदूर केन्द्र, मजदूर एकता केन्द्र, प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र, आइएमएस,डीपीएफ,लोकपक्ष, इफ्टू(सर्वहारा) एवं मजदूर सहयोग केन्द्र आदि संगठनों ने किया था ।

दरअसल दिल्ली में अब तक हुए तमाम अग्निकांड को दुर्घटना कहना अपने आप को धोखा देना है। इसके पीछे असल कारण बड़े पैमाने पर सरकारी भ्रष्टाचार है। इसमें दिल्ली की केजरी सरकार के श्रम विभाग, भाजपा की नगर निगम, अग्निशमन तथा केन्द्र सरकार की पुलिस, सभी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। ये तमाम विभाग इस तरह के अनाधिकृत कारखानों से बाकायदा हर महीने मोटी वसूली करने के बाद ही इन्हें ऐसे कारखाने कारखाने चलाने देते हैं। यदि इनमें से एक भी महकमा ईमानदार होता तो इतने लोगों को मौत के घाट उतरने से बचाया जा सकता था।

आटे के दाम क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ गए हैं? ताजमहल से फ़ुर्सत मिल गई हो तो रोटी-पानी की बात भी समझ लीजिए

अजीत शशी

हुआ ये है कि गेहूँ की पैदावर तेज़ी से गिर रही है और मुनाफ़ाख़ोर व्यापारी देश का गेहूँ विदेशों में बेच रहे हैं. ज़ाहिर है देशवासियों के लिए गेहूँ की कमी हो गई है।

ये सब न केवल मोदी की जानकारी में हो रहा है बल्कि दो महीने से मोदी खुद ढिंढोरा पीट रहे हैं कि, देखो, हम दुनिया का पेट भरने के लिए रिकॉर्ड गेहूँ निर्यात करने जा रहे हैं।

अब अचानक हालत ख़राब हो गई है तो भारत सरकार ने गेहूँ के निर्यात पर रोक लगा दी है।

दरअसल गेहूँ को लेकर मोदी सरकार तब से झूठ का कारोबार कर रही है जबसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया।

दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ चीन पैदा करता है। भारत दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा गेहूँ का निर्यात रूस करता है। यूक्रेन की पैदावर भी अच्छी है। यूक्रेन पर हमले के बाद मोदी ने झटपट झूठी ख़बरें प्लांट करानी शुरू कर दीं कि अब भारत रूस की जगह ले लेगा और गेहूँ का रिकॉर्ड तोड़ निर्यात करेगा।

अमेरिकी समाचार एजेंसी रायटर्स ने सोलह मार्च को ख़बर छापी कि भारत सरकार aggressive program तैयार कर रही है निर्यात के लिए जिसके अंतर्गत लैब में टेस्टिंग शुरू हो गई है कि कौन सी क्वालिटी का गेहूं निर्यात होगा। साथ ही सरकार मालगाड़ी के डिब्बे बढ़ा देगी और बंदरगाह पर भी कैपेसिटी बढ़ा देगी।

फिर एक महीने पहले, ग्यारह अप्रैल को, एक अनाम सरकारी अधिकारी के हवाले से रायटर्स ने दोबारा ख़बर छापी की भारत में गेहूँ की बंपर खेती हुई है और अब भारत बढ़-चढ़ कर गेहूँ का निर्यात करेगा। अधिकारी ने ये भी कहा कि एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप और अफ्रीका में भी भारत गेहूँ बेचेगा।

लेकिन तीन हफ़्ते बाद इसी रायटर्स ने पलटी मारी। दो मई को एक ख़बर में रायटर्स ने कहा कि इस साल भारत में गेहूँ की पैदावर में गिरावट आई है!

जबकि फ़रवरी में मोदी सरकार ने दावा किया था कि इस साल भारत में ग्यारह करोड़ टन गेहूँ पैदा होगा, रायटर्स की दो मई की रिपोर्ट ने कहा कि अब अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं कि सिर्फ़ साढ़े दस करोड़ टन गेहूँ होगा. ये भी हवाबाज़ी है। एक अनाम व्यापारी के हवाले से रिपोर्ट ने कहा कि दस करोड़ टन गेहूँ ही हो जाए तो समझो ग़नीमत है।

इस सबसे परे अपनी विदेश यात्रा पर ठीक इसी दौरान मोदी नक़ली शान दिखा रहे थे। बर्लिन में उन्होंने दावा किया कि, दुनियावालों, परेशान मत हो। तुमको हम गेहूँ की कमी नहीं होने देंगे। भारत तुमको गेहूँ देगा। और अब पलटी मारते हुए मोदी ने गेहूँ के निर्यात पर रोक लगा दी।

आज अंग्रेज़ी अख़बार इकनॉमिक टाइम्स बता रहा है कि इस साल गेहूँ की कुल पैदावर साढ़े नौ करोड़ हो जाए तो बड़ी बात होगी। यानी दो महीने में पैदावर का अनुमान साढ़े ग्यारह करोड़ टन से गिर कर साढ़े नौ करोड़ टन पर आ गया है। भगवान जाने वो भी होगा कि नहीं। और सुनिए। अख़बार के मुताबिक़ इस साल सरकार ख़ुद पिछले साल के मुक़ाबले पचपन फ़ीसदी गेहूँ ख़रीद पाई है। मतलब ये कि सरकार के गोदामों में इस साल पिछले साल के मुक़ाबले लगभग आधा गेहूँ आने की आशंका है।

इस भयावह परिस्थिति का मतलब ये होगा कि डिस्काउंट पर या फ्री आटा उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त गेहूँ ही नहीं होगा। ज़ाहिर है कि सरकार को गेहूँ आयात करना पड़ेगा। लेकिन गेहूँ के अंतरराष्ट्रीय दाम आसमान छू रहे हैं। तो भारत को बहुत अधिक खर्च करके ये गेहूँ ख़रीदना होगा। लिहाज़ा महंगाई और ताबड़तोड़ बढ़ती जाएगी। वैसे भी अगला साल, 2023, लोकसभा चुनाव से पहले का आख़िरी साल है। वोट की ख़ातिर सौ करोड़ लोगों को फ्री राशन देना ही देना होगा। कहाँ से आएगा गेहूँ? जैसे मोदी झूठे वैसे उनके मंत्री गपोड़े। पिछले महीने ही खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया था कि इस साल भारत डेढ़ करोड़ टन गेहूँ निर्यात करेगा। रायटर्स की दो मई की रिपोर्ट मे एक अनाम गेहूँ व्यापारी ने कहा कि अगर एक टन गेहूँ भी निर्यात हो जाए तो बहुत होगा। और अब तो ख़ैर निर्यात पर रोक ही लगा दी है।

अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में देश का कबाड़ा करवा दिया है संघियों ने। हमारी आँखों के सामने भारत डूब रहा है। और गधे ताजमहल के नीचे मंदिर ढूँढ रहे हैं।

सेक्टर 15 मार्केट में पार्किंग हेतु पुलिस ने लगाई सफ़ेद लाइनें

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते दसियों वर्ष से सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके जाम लगाने वालों पर कार्रवाई करने की सुध आखिर ट्रैफ़िक पुलिस को आ ही गई। अब देखना यह है कि 'नो पार्किंग' में गाड़ी खड़ी करने वालों से पुलिस कैसे निपटती है? मिली जानकारी के अनुसार इसी तरह की 'पार्किंग' लाइनें शहर की तमाम व्यस्त सड़कों एवं बाजारों में लागाई जाने की योजना हैं।

सवाल उन सड़कों पर बनता है जिन्हें पूरी तरह से घेर लिया जाता है। हाईवे के दोनो ओर बनी सर्विस लेन पर इस तरह से वाहन खड़े कर दिये जाते हैं कि यातायात का चलना दूभर हो जाये। अजरोंदा मोड़ व ओल्ड फ़रीदाबाद चौक की चारों साइडें सदैव अवैध पार्किंग के चलते जाम की स्थिति में रहती है। गुड़गांव नहर पार करके बल्लबगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर सदैव जाम की स्थिति केवल इसलिये बनी रहती है कि सड़कों पर न केवल अवैध पार्किंग चल रही है बल्कि वर्कशॉप भी चल रही हैं। ऐसे में रेहड़ी-फ़ड़ी वाले भी भला क्यों पीछे रहने लगे, वे भी सड़क पर खड़े होकर अपनी दुकानदारी करने का पूरा हक समझते हैं, यातायात में फंसे वाहन चाहे कितना ही हॉर्न बजाते रहें, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

सेक्टर 14 से सेक्टर 9 की ओर जाने वाली सड़क जिस पर एस्कॉर्ट कम्पनी व इन्डियन ऑयल स्थित हैं, सदैव अवैध पार्किंग से भरी रहती है। दरअसल यहां खड़े होने वाले वाहन एस्कॉर्ट कम्पनी के लिये हिस्से-पुर्जे लेकर आते हैं। कम्पनी इन वाहनों से माल उतार कर अपने गोदाम में रखने का खर्चा बचाने के लिये, माल से लदे वाहनों को गेट के सामने सड़क पर ही खड़ा रखती है। कम्पनी अपनी जरूरत के हिसाब से एक-एक करके वाहनों को भीतर बुलाती रहती है। स्कूलों की छुट्टी के समय तो यहां पर गजब जाम की स्थिति बन जाती है।

उपरोक्त बताये गये तो चंद उदाहरण मात्र हैं, वरना शायद ही कोई सड़क अथवा चौराहा अवैध पार्किंग की बीमारी से बचा हो। यदि पुलिस की नीयत साफ़ हो तो इस बीमारी से निपटना मिनटों का काम है। इतना बड़ा ट्रैफ़िक पुलिस का अमला यदि यह धारणा कर ले कि सड़कों पर एक भी वाहन को अवैध पार्किंग नहीं करने देंगे तो किसी की मजाल नहीं कि जो सड़क को घेर कर खड़ा हो जाय। इसके लिये न तो किसी क्रेन की जरूरत है और न ही कोई लठ्ठ बजाने की जरूरत है। केवल वाजिब चालान करना ही पर्याप्त हो सकता है।

बेदखली सूचना

हम, किशन पुत्र लीला राम, उम्र 66 साल व लज्जा पत्नी किशन, उम्र-62 साल, निवासी गांव-फतेहपुर बिल्लौच, तहसील-बल्लबगढ़, ज़िला-फ़रीदाबाद, हरियाणा के रहने वाले हैं। हमारा लड़का राहुल की शादी रीना पुत्री श्री रमेश, निवासी गांव-लोकरी, ज़िला-गुडंगांव, के साथ दिनांक 24-11-2019 को हुई थी। हमारे से दोनों के विचार बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, दोनों हमारी कोई सेवा-टहल नहीं करते हैं। इसलिये हमने दोनों को अपने घर से बेदखल कर दिया है। दोनों जहां मर्जी रहें, अलग खायें-कमायें, हमें कोई वास्ता न है। इसलिये इस पब्लिकेशन के द्वारा आमजन को सूचित किया जा रहा है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

सूचनाकर्ता

किशन पुत्र लीला राम, उम्र 66 साल व लज्जा पत्नी किशन, उम्र-62 साल, निवासी गांव-फतेहपुर बिल्लौच, तहसील-बल्लबगढ़, ज़िला-फ़रीदाबाद, हरियाणा।

बेदखली सूचना

हम पूरन सिंह एवं सरोज रावत, निवासी F3-211, साऊथएंड अपार्टमेंट, चार्मवुड विलेज, सूरजकुण्ड, फरीदाबाद हरियाणा -121009 अपने पुत्र अमित सिंह रावत व उसकी पत्नी वसुधा अरोड़ा से अपने सम्बंध विच्छेद करते हुए उन्हें अपनी सम्पत्ति से बेदखल करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि भविष्य में इनके साथ होने वाली घटनाओं से हमारा कोई सम्बंध नहीं है।